न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), दूदू, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश कुमार, R.A.S.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 130 / 2025

वाद–पत्र दायरी दिनांक : 15 / 07 / 2025

निर्णय दिनांक : 13/10/2025

रामचन्द्र पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0)

उपस्थित : **श्री बलवन्त सिंह चौधरी**
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 13/10/2025

– : निर्णय : –

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत् घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के विवादित आराजीयात खाता संख्या 382 के आराजी खसरा नम्बर 3555, 3556, 3899, 3901, 3957, 4063, 4064, 4125, 4221, 4222, 4223, 4225, 4228, 4230, 4233, 4234 कुल किता 16 कुल रकबा 12.4200 हैक्टेयर, खाता संख्या 93 आराजी खसरा नम्बर 3514, 3515, 3576 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खाता संख्या 94 आराजी खसरा नम्बर 1604, 1605, 1606 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6400 हैक्टेयर वाके ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसका वादी जमाबंदी दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी वादी को जरिये विरासत से प्राप्त हुई है राजस्व कर्मियों द्वारा जो विरासत नामांतरण खोला गया मानवीय भूल बस वादी के पिता का नाम मूल्या दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तविक एवं सही नाम मूलाराम है तथा इसी अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए था। वादी के पिता का नाम मूल्या एवं मूलाराम दोनों होने के कारण एवं जाना पहचाना के कारण वादी की वल्दियत के रूप मूल्यां के नाम से दर्ज कर दी गई, जबकि वादी के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में वादी का नाम रामचन्द्र

उपखण्ड अधिकारी

पुत्र मूलाराम दर्ज है तथा इसी अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए था इसी अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी अमल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम धांधोली में निवास नहीं करता है तथा मूलाराम एवं मूल्या एक ही व्यक्ति थे। वादी के पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त दर्ज खाते आराजीयात का तनहा हुआ खातेदार काश्तकार के रूप में मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा करता रहा परंतु उक्त सहवन से दर्ज त्रूटि के कारण राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ परिलाभ वादी को भी वंचित होना पड़ रहा है तथा उक्त त्रूटि के कारण वादी को खातेदारी हक लाभ में हक तलफी है इसलिये भी नाम दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी द्वारा पूर्व में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अंकन की जानकारी नहीं रही अभी किसान सम्मान निधि के लिए जमाबंदी नकल लेने पर जानकारी में आया कि वादी के पिता के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन मूल्या हो रखा है जबकि समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम मूलाराम दर्ज है इसलिए वादी को वाद घोषणा दुरूस्त इन्द्राज माननीय न्यायालय में पेश करना लाजमी हुआ है। वादी को अभी हाल में दिनांक 05.07.2025 को नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर राजस्व रिकार्ड त्रुटि की जानकारी होने पर पटवार हल्का से निवेदन करने पर न्यायालय में चाराजोही की हिदायत के कारण वाद उत्पन्न हुआ है। वादी ने वाद पत्र के अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ दादरसी चाही कि " वादी का वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी का नाम पैरा 1 आराजीयात में रामचन्द्र पुत्र मूल्या को हजफ फरमाकर रामचन्द्र पुत्र मूलाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने पालनार्थ तहसीलदार दूदू को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 08.09.2025 को अधिवक्ता वादी ने प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत धांधोली, शपथ पत्र पीडब्लयू1 प्रधान पुत्र रामनारायण, शपथ पत्र शंकरलाल पुत्र सांवलमल, शपथ पत्र बद्रीलाल जाट पुत्र भैरूलाल पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार दूदू से प्राप्त जवाब प्राप्त हुआ। शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में ओर साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार सरकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एवं दस्तावेजात नकल जमाबन्दी खाता संख्या 382, 93, 94 वाके ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर, छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति राशनकार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर द्वारा रामचन्द्र पुत्र मूलाराम उर्फ मूल्या का एक ही व्यक्ति का नाम तथा इस नाम से अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होने के संबंध में जारी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

प्रमाण पत्र, शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 प्रधान जाट पुत्र रामनारायण जाट, शपथ पत्र शंकरलाल पुत्र सांवलमल, शपथ पत्र बद्रीलाल जाट पुत्र भैरूलाल निवासियान धांधोली, तहसील दूदू जयपुर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि खाता संख्या 382, 93, 94 वाके ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर में त्रुटीवश वादी के पिता का नाम गलत रूप से रामचन्द्र पुत्र मूल्या दर्ज कर दिया जबकि सही एवं वास्तविक नाम रामचन्द्र पुत्र मूलाराम है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र मूल्या के स्थान पर वास्तविक नाम रामचन्द्र पुत्र मूलाराम होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 382, 93, 94 वाके ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर में दर्ज **"रामचन्द्र पुत्र मूल्या"** को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर **"रामचन्द्र पुत्र मूलाराम"** दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(रमेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

संख्याक नं. 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर

श्री रमेश कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 130/2025

वाद–पत्र दायरी दिनांक : 15/07/2025

निर्णय दिनांक : 13/10/2025

रामचन्द्र पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0)

उपस्थित : **श्री बलवन्त सिंह चौधरी**
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 13/10/2025

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 382, 93, 94 वाके ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर में दर्ज **"रामचन्द्र पुत्र मूल्या"** को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर **"रामचन्द्र पुत्र मूलाराम"** दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(रमेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

उक्त डिक्री पर्चा आज दिनांक 13/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

6.10.25 वकील वादी हा. पेश आये। लिखित जवाब / रिपोर्ट की अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 13.10.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

13.10.25 वकील वादी उप. पेश आये। वकील वादी ने बहस करना जाहिर किया। वकील वादी व फौ. भी बहस को सुना गया। बाद बहस, मनन व अवलोकन पत्रावली वादी का वाद स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर